भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1554

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़ 1941 (शक)

ग्रामीण महिला श्रमिक बल

1554. डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त ग्रामीण महिला श्रमिकों की राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) इस क्षेत्र में इन श्रमिकों के कौशल विकास की दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या गैर-कृषि क्षेत्र में महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त भेदभाव को खत्म करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख): राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) देश भर में कौशल विकास के प्रयासों को बढ़ाने एवं लागू करने और गैर-कृषि क्षेत्र में नियोजित ग्रामीण महिलाओं सहित कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों/प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ग) और (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****